फार्म नं. 3

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर मुकाम ....

मगा वगैरह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बलाऊ

किस्म मुकदमा अपील नं. .... सन् 08/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2018	**आदेश** राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर अटल सेवा केन्द्र बलाऊ में प्रार्थीगण मांगाराम आसूराम किशनाराम सांवलाराम पिसरान भारमल एवं राजो पत्नी भारमलराम ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि खातेदार भारमलराम के फौत होने पर उनके नाम पारित नामान्तकरण में उनके नाम मगा केवला आसू मोटा पिसरान भारमल राजो वेवा भारमल अंकित किया गया है जो अशुद्ध नाम है। उनके द्वारा नाम शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है। उक्त आवेदन की जांच मजमे आम में तहसीलदार बाडमेर से करवाई गई। तहसीलदार बाडमेर ने भू–अभिलेख निरीक्षक हाथीतला एवं पटवारी हल्का बाडमेर आगोर से जांच करवा कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमे अंकित किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 08 में खातेदार भारमल पुत्र जोधा कौम रबारी के फौत होने पर उसके वारिसान मगा आसू ठाकरा केवला मोटा पिसरान भारमल राजो पत्नी भारमल के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये गये है और उक्त संशोधन अपील के माध्यम से ही होना संभव है। . तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपील प्रकरण में सुमार कर अपील दर्ज की गई तथा अपीलार्थीगण को मजमे आम में सुना गया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 08 एवं जमाबन्दी ग्राम सेगडी के खाता संख्या 64 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण के	निशानी अंगूठा राजो निशानी मांगाराम निशानी आसूराम निशानी किशनाराम सांवलाराम रुपी रूपी देवी सरपंच ग्राम पंचायत बलाऊ पंचायत समिति बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व अपील संख्या 08 / 2018 अनवान मगाराम बनाम ग्राम पंचायत बलाऊ

बयान लिये गये। नाम शुद्धिकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि की प्रतियों का भी अवलोकन किया गया। जाच रिपोर्ट में पाया गया है कि भारमलराम का जायन्दा पुत्र ठाकरराम फौत हो चुका है। उक्त मौखिक साक्ष्य एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 08 ग्राम सेगडी पर पारित आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर को आदेश दिये जाते है कि खातेदार भारमलराम पुत्र जोधाराम जाति रबारी निवासी सेगड़ी की फौतगी पर उसके जायज वारिसान् मगाराम, आसूराम, केवलाराम, मोटाराम पिसरान भारमलराम एवं राजो पत्नी स्वर्गीय भारमलराम के नाम नये सिरे से नामान्तकरण पारित कर समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner